


तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर
अहका
हुक्म क
में जा

23.2.21

कोई उपस्थित नहीं। मूलवाहू अशुभ
हाथिरी व अशुभ जेरी के शरीरज किया
जा चुका है। अतः मूल वाहू के कठोर
प्राप्ति का कोई औचित्य नहीं है।
अतः प्राप्ति मूलवाहू की रेशनी के
प्राप्ति शरीरज किया जाता है। परन्तु
किसलक्ष्यमा (देखा संलग्न मूलवाहू रहे)


उपस्थंडाधिकारी
धौलपुर (राज0)